



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला कुशीनगर
तहसील कसया
आवेदन क्र० 191890030042873
प्रमाणपत्र क्र० 593193002516

जारी दिनांक: 28/03/2019

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

श्री राहुल प्रताप विश्वकर्मा
श्री अशोक विश्वकर्मा
श्रीमती इन्द्रावती देवी
,विशुनपुर शेख फज़रन्नी, पोस्ट -
लक्ष्मीपुर मिश्र
विशुनपुर शेख फउलेली
कसया
कुशीनगर



उत्तर प्रदेश राज्य की लोहार जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री राहुल प्रताप विश्वकर्मा पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा में अधिक सम्पत्ति नहीं है।



Deepak Singh

DESH DEEPAK SINGH
Digitally Signed by
DESH DEEPAK SINGH O=Personal,
S=Uttar Pradesh

जारी कर्ता केन्द्र: राजू विश्वकर्मा, सहज जस सेवा केन्द्र
पद: राजू विश्वकर्मा, केन्द्र प्रभारी
स्थान: लक्ष्मीपुर मिश्रा, कसया, LAXMIPUR
MISRA, फाजिलनगर, कुशीनगर
दिनांक: 02/04/2019
हस्ताक्षर एवं मुहर

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
कसया, कुशीनगर
दिनांक: 28/03/2019

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिगनेचर द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिगनेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.nic.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

Prishwakarma